रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-24042023-245366
CG-GJ-E-24042023-245366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2023/चैत्र 30, 1945
No. 246]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2023/CHAITRA 30, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 19 अप्रैल, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023

आईएफएससीए/2022-23/**जीएन**/**आरईजी**038.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फ और 64फक के साथ पठित धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (म), (य), (यक) और (यकख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **अंतरराष्ट्रीय** वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

    (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

    (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अध्याय 1

परिचय

1. प्रयोज्यता

ये विनियम सामान्य, स्वास्थ्य, या पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) पर लागू होंगे।

बशर्ते कि अनिगमित रूप में स्थापित आईआईओ के लिए, इन विनियमों के अधीन शोधन क्षमता मार्जिन और संबंधित अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी और ऐसे आईआईओ आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय) विनियम, 2021 के विनियम 17 के उप-विनियम (4) के अधीन यथा-निर्धारित संबंधित अपेक्षा का अनुपालन करेंगे।

बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रारूप ऐसे आईआईओ के लिए लागू होते रहेंगे।

2. उद्देश्य-

इन नियमों का उद्देश्य आईआईओ द्वारा सामान्य, स्वास्थ्य, या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पूंजी और शोधन क्षमता से संबंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना है।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **'अधिनियम'** का अभिप्राय: है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);

(ख) **'आवंटित हानि समायोजन व्यय'** का अभिप्राय: उन खर्चों से है जो किसी विशिष्ट दावे के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं;

(ग) **'नियुक्त बीमांकक'** का वही अभिप्राय: होगा जो इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के विनियम 3 के उप-विनियम 1 के खंड (ग) के अधीन दिया गया है;

(घ) **'प्राधिकरण'** का अभिप्राय: है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण;

(ड़) **'दावा रिजर्व'** का अभिप्राय: ऐसे दावा रिजर्व से है जिनका दावा पहले ही किए जा चुका है और जिन्हें बकाया दावा रिजर्व और खर्च किए गए दावों लेकिन दावा रिजर्व के रूप में रिपोर्ट नहीं किए गए रिजर्व के समाहार के रूप में निर्धारित किया गया है;

(च) **'उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए रिजर्व'** का अभिप्राय: ऐसे रिजर्व से है जो लेखांकन की तारीख को रिपोर्ट किए गए दावों के अनुमानों में अपेक्षित परिवर्तन दर्शाते हैं;

(छ) **'उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावा रिजर्व'** का अभिप्राय: फिर से खोले गए दावों, खर्च किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों के लिए प्रावधान, लेखांकन की तारीख को पारगमन में दावों के लिए प्रावधान के लिए किए गए अनुमान से है और इसमें आवंटित हानि समायोजन व्यय और खर्च किए गए लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए रिजर्व शामिल हैं;

(ज) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए **'बीमाकर्ता'** का अभिप्राय: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय से है जो सामान्य, स्वास्थ्य या पुनर्बीमा व्यवसाय करता है;

(झ) **'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय'** का वही अभिप्राय: होगा जो इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है।

(ञ) **'बकाया दावा रिजर्व'** का अभिप्राय: लेखांकन की तारीख को रिपोर्ट किए गए सभी बकाया दावों के संबंध में किए गए प्रावधान से है और इसमें आवंटित हानि समायोजन व्यय शामिल हैं;

(ट) **'प्रीमियम डेफिसिएंसी रिजर्व'** का अभिप्राय: अनर्जित प्रीमियम रिजर्व से अधिक रखा गया रिजर्व है, जो किसी भी अपेक्षा के लिए अनुमति देता है कि अनर्जित प्रीमियम रिजर्व असमाप्त जोखिम की अवधि के दौरान किए गए दावों और संबंधित खर्चों की लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त होगा;

(ठ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए **'पुनर्बीमाकर्ता'** का अभिप्राय: है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय जो पुनर्बीमा व्यवसाय करता है;

(ड) **'अनर्जित प्रीमियम रिजर्व'** का अभिप्राय: लिखित प्रीमियम के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि से है जो कि आरोपणीय है और बाद की लेखांकन अवधि के लिए आवंटित की जानी है;

(ढ) **'अनातीत जोखिम रिजर्व'** का अभिप्राय: अनातीत जोखिमों के लिए देयताओं के संबंध में रिजर्व से है और अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम कमी रिजर्व के योग के रूप में निर्धारित किया जाता है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियम या अधिनियमों या इनके अधीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं में परिभाषित हैं, के अभिप्राय: क्रमश :वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए नियत किए गए हैं।

अध्याय II

रिपोर्ट की जाने वाली अपेक्षाएं

5. (1) **आईआईओ निम्नलिखित विवरणों को यथा-निर्दिष्ट आवधिकता सहित तैयार करके प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा:**

(क) अनुसूची-I **में यथा-निर्दिष्ट** प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए **में ग्राह्य आस्तियों का विवरण।**

(ख) अनुसूची-**II में यथा-निर्दिष्ट** प्ररूप एएलएसएम-जीआई-एल **में देयताओं की राशि का विवरण।**

(ग) अनुसूची-**III में यथा-निर्दिष्ट** प्ररूप एएलएसएम-जीआई-एसएम **में शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण।**

(2) **आईआईओ -**

(क) नियुक्त बीमांकक द्वारा तैयार की गई वार्षिक बीमांकिक रिपोर्ट को प्राधिकरण के अनुसार, और यथा-निर्दिष्ट तरीके से

(ख) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित संपत्ति और देयताओं का मूल्यांकन और शोधन क्षमता मार्जिन की गणना,

(ग) प्राधिकरण द्वारा यथा-निदेशित कोई अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण: **यह विनियम उन मामलों में भी लागू होगा जहां पूंजी का अनुरक्षण स्वदेश के विनियमों के अनुसार किया जा रहा है।**

अध्याय - III
विविध उपबंध

6. निरीक्षण, अन्वेषण, सूचना और प्रकटीकरण

प्राधिकरण के पास आईआईओ या मूल एंटिटी से किसी प्रकार की जानकारी मांगने सहित किसी भी आईआईओ के मामलों का निरीक्षण या अन्वेषण करने की शक्ति होगी और प्राधिकरण अपने कार्यकलापों के संबंध में आईआईओ को निर्दिष्ट कर सकता है कि वह अमुक जानकारी प्राधिकरण को प्रकट करे।

7. प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

इन विनियमों के कार्यान्वयन और उससे संबंधित मामलों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण आईआईओ द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंडों, विधियों, प्रक्रियाओं और तरीकों को निर्दिष्ट कर सकता है।

8. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों का कड़ाई से प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:

(1) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन टिप्पणी या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(2) निर्दिष्ट अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कड़ाई से प्रवर्तन किए जाने में ढील दे सकता है।

9. कतिपय विनियमों की अप्रयोज्यता और व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर या होने की तारीख से, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016, और इसके अधीन जारी किए गए परिपत्र या दिशानिदेश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू नहीं होंगे;

(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले, उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों, परिपत्रों या दिशानिर्देशों के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्रवाई या की गई मानी गई कार्रवाई है तो उसे इन नियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया कार्य माना जाएगा।

(3) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत आईआईओ, इन विनियमों के प्रारंभ होने से छ: (6) माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विस्तारित समय के भीतर इन विनियमों में निर्धारित अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

अनुसूची-I

(विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (क) का संदर्भ लें)

1. आस्तियों का मूल्यांकन

(1) निम्नलिखित आस्तियों को शून्य मूल्य के साथ रखा जाएगा:

(क) वित्तीय लिखतों को छोड़कर चल और अचल आस्तियां और प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिश्ट कोई अन्य आस्ति;

(ख) एजेंटों और मध्यस्थों की शेष राशि और भारत के बाहर से पॉलिसीधारकों द्वारा देय बकाया प्रीमियम, जिस सीमा तक वे उगाहने योग्य नहीं हैं;

(ग) विविध ऋण, इस हद तक वे उगाहने योग्य नहीं हैं;

(घ) अवास्तविक चरित्र के अग्रिम और प्राप्य;

(ड़) फर्नीचर, जुड़नार, असबाब और लेखन सामग्री;

(च) आस्थगित व्यय;

(छ) लाभ और हानि विनियोग खाते और प्री-पेड खर्चों के अलावा किसी भी काल्पनिक आस्तियों का नामे शेष;

(ज) सह-बीमाकर्ता का नब्बे से अधिक दिनों से बकाया शेष;

(झ) पुनर्बीमाकर्ता का 180 दिनों से अधिक बकाया शेष;

(ञ) लीजहोल्ड सुधार;

(ट) नब्बे से अधिक दिनों से बकाया माल और सेवा कर अप्रयुक्त क्रेडिट;

(ठ) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य आस्तियां।

(2) किसी बीमाकर्ता की अन्य सभी आस्तियों का मूल्यांकन लागू विनियमों और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश के अनुसार किया जाएगा।

2. ग्राह्य आस्तियों का विवरण

प्रत्येक बीमाकर्ता नीचे दिए अनुसार प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए में ग्राह्य आस्तियों का विवरण तैयार करेगा:

प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए

ग्राह्य आस्तियों का विवरण

आईआईओ का नाम:
पंजीकरँण संख्या:

31 मार्च, 20XX की स्थिति के अनुसार

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	व्यष्टियां	**पोलिसीधारक का खाता**	**शेयरधारक का खाता**	**कुल**
	निवेश			
	शेयरधारकों' का निवेश			
	पॉलिसीधारकों का निवेश			
क	**लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार कुल निवेश**			
ख	**अनुसूची-I के खंड (1) के अधीन चिह्नित अग्राह्य निवेश आस्तियां**			
	अचल आस्तियां			
ग	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार अचल आस्तियां			
घ	अनुसूची I के खंड (1) के अधीन चिह्नित अग्राह्य अचल आस्तियां			
	वर्तमान आस्तियां			
ङ	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार नकद और बैंक शेष			
च	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियां			
छ	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार कुल चालू आस्तियां (क)+(च)			
ज	अनुसूची-I के खंड (1) के अधीन चिह्नित अग्राह्य वर्तमान आस्तियां			
झ	**लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार ऋण**			
ञ	**न्यूनतम शून्य के अध्यधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता**			
ट	**लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार कुल आस्तियां (ट)=(क)+(ग)+(छ)+(झ)**			
ठ	**कुल अग्राह्य आस्तियां** **(ठ)=(ख)+(घ)+(ज)+(ञ)**			

ड	**वर्तमान देयताएं और प्रावधान**			
ढ	**शोधन क्षमता के लिए कुल ग्राह्य आस्तियां=(ट) - (ठ) –(ढ)**			
टिप्पणी: विवरण ऊपर दिए गए खंड 1 के अनुसार आस्तियां की उपर्युक्त श्रेणियों का मूल्य दर्शाएगा।				

 # 'बीएस' 'तुलनपत्र' को इंगित करता है

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023 की अनुसूची-I के अनुसार तैयार किया गया है।

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख*:*

अनुसूची - II

(विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) का संदर्भ लें)

देयताओं की राशि का निर्धारण

1. **तकनीकी रिजर्व का निर्धारण**

(1) व्यवसाय की प्रत्येक लाइन के लिए मूल्यांकन तारीख पर तकनीकी रिजर्व को अलग से निर्धारित किया जाएगा। व्यवसाय की प्रत्येक लाईन के लिए रिजर्व का निरुपण प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

(2) **व्यवसाय की प्रत्येक लाईन** के लिए तकनीकी रिजर्व का निर्धारण खंड 2 में उल्लिखित प्रीमियम रिजर्व और खंड 3 में उल्लिखित दावा रिजर्व के योग के रूप में किया जाएगा।

2. प्रीमियम रिजर्व

(1) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर):

यूपीआर का अनुमान मौजूदा उपबंधों के अनुसार लगाया जाएगा और इसे मुख्य वित्तीय अधिकारी और आईआईओ के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(2) प्रीमियम डेफिसिएंसी रिजर्व (पीडीआर):

पीडीआर की गणना ठोस बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए की जाएगी और इसे बीमाकर्ता के स्तर पर बनाए रखा जाएगा। बीमाकर्ता सेगमेंट के आधार पर पीडीआर की लगातार निगरानी करेगा।

(3) असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर):

असमाप्त जोखिम रिजर्व का अभिप्राय: यूपीआर और पीडीआर का योग होगा।

2. **दावा रिजर्व**

1. दावा रिजर्व का निर्धारण बकाया दावा रिजर्व)ओसीआर (और खर्च किए गए लेकिन सूचित नहीं किए गए दावा रिजर्व)आईबीएनआर (की कुल राशि के रूप में किया जाएगा।

(2) बकाया दावा रिजर्व (ओसीआर)

बकाया दावा रिजर्व निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा:

(क) जहां बीमाकर्ताओं के बकाया दावों की राशि ज्ञात है, राशि पूर्ण रूप से प्रदान की जानी है;

(ख) (जहां बकाया दावों की संख्या का यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है, वहां नियुक्त बीमांकक 'मामला दर मामला विधि' का पालन करेगा;

(ग) जहां नियुक्त बीमांकक का यह विचार है कि बकाया दावों के आकलन के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जा सकता है, वह मामला दर मामला विधि का अनुसरण करने की बजाय दावों को सुरक्षित रखने की उपयुक्त सांख्यिकीय विधि का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में, ओसीआर नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(3) खर्च किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) दावा रिजर्व

खर्च किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) दावा रिज़र्व को बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

4. अन्य देयताओं का निर्धारण

बीमाकर्ता निम्नलिखित मदों के संबंध में एक उचित मूल्य रखेंगे:

(1) खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए उपबंध; घोषित या अनुशंसित लाभांशों के लिए रिजर्व, और पूर्ण रूप से बकाया लाभांश;

(2) बीमा व्यवसाय करने वाली बीमा कंपनियों को देय पूर्ण राशि;

(3) विविध लेनदारों को देय पूर्ण राशि;

(4) कराधान के लिए पूर्ण प्रावधान; और

(5) विदेशी मुद्रा रिजर्व।

5. देयताओं का विवरण

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फ के अनुसार नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित प्रपत्र एएलएसएम-जीआई-एल और सांविधिक लेखापरीक्षा में देयताओं का विवरण तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 15 में उल्लिखित विवरणियों के साथ विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररूप एएलएसएम-जीआई- एल

देयताओं का विवरण

31 मार्च, 20XX की स्थिति के अनुसार

आईआईओ का नाम: पंजीकरँण संख्या:

(सभी राशियाँ मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रिजर्व	सकल रिजर्व	निवल रिजर्व
अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) ....(क)		
प्रीमियम डेफिसिएंसी रिजर्व (पीडीआर)...(ख)		
असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर)....(ग)=(क)+(ख)		
बकाया दावा रिजर्व (आईबीएनआर को छोड़कर रिजर्व)...(घ)		
आईबीएनआर रिजर्व ....(ङ)		
कुल तकनीकी रिजर्व (च)=(ग)+(घ)+(ङ)		
टिप्पणी: विवरण ऊपर दिए गए खंड 1 से 4 के अनुसार देयताओं की उपर्युक्त श्रेणियों का मूल्य दिखाएगा।		

प्रमाणपत्र

(1) सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणन:

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण बीमाकर्ता की देयताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आस्तियां, देयताएं, और सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023

और ऐसी देयताओं की राशियों को निर्धारित तरीके से निर्धारित किया गया है और ये निष्पक्ष और उपयुक्त हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में ओसीआर (जिनका आकलन सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके किया जाता है), पीडीआर और आईबीएनआर रिजर्व नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उनका प्रमाण पत्र नीचे प्रस्तुत किया गया है।

योग्यता, यदि कोई हो (देयताओं के निर्धारण के संबंध में):

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

तारीख:

सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

(2) नियुक्त बीमांकक से प्रमाणन:

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार डेटा की जांच की है, और मैं संतुष्ट हूं कि डेटा सुसंगत, विश्वसनीय और पूर्ण है। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि ओसीआर (जिसका आकलन सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके किया गया है), पीडीआर और आईबीएनआर रिजर्व उपर्युक्त विवरण में बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करके निर्धारित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा की आस्तियां, देयताएं, और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023 में निर्धारित तरीके से निर्धारित किया गया है। मार्च के 31 वें दिन (जांच का वर्ष) के अनुसार ये रिजर्व, मेरी राय में, भविष्य के अपेक्षित अनुभव के प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व करते हैं।

योग्यताएं, यदि कोई हो:

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

तारीख:

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

(3) प्रधान अधिकारी द्वारा प्रमाणन:

मैं घोषित करता हूँ कि

(क) प्रत्येक पॉलिसी और दावे का पूर्ण और सटीक विवरण नियुक्त बीमांकक को प्रस्तुत किया गया है: <बीमांक का नाम> 20XX के मार्च माह के 31 वें दिन को तकनीकी रिजर्व के निर्धारण के उद्देश्य से।

(ख) नियुक्त बीमांकक को प्रदान किया गया डेटा 31 मार्च 20XX तक लेखापरीक्षित वित्तीय के साथ मेल खाता है।

(ग) नियुक्त बीमांकक को हामीदारी, दावों और पुनर्बीमा पॉलिसियों और बीमाकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली प्रथाओं से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया है।

अर्हता, यदि कोई हो:

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

तारीख:

प्रधान अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(4) **मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्रमाणन:** मैं प्रमाणित करता हूं कि

यूपीआर को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023 के मौजूदा उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

योग्यता, यदि कोई हो (यूपीआर के निर्धारण के संबंध में):

बीमाकर्ता का नाम:

स्थान:

तारीख:

मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुसूची-III

(विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) का संदर्भ लें)

शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण

1. व्याख्या: इस अनुसूची में,

(1) **'उपलब्ध शोधन क्षमता मार्जिन (एएसएम)'** का अभिप्राय: देयताओं के मूल्य (जैसा कि प्ररूप एएलएसएम-जीआई-एल में प्रस्तुत किया गया है) की तुलना में आस्तियों के मूल्य की अधिकता है (जैसा कि प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए में प्रस्तुत किया गया है) जैसा कि आगे के समायोजन के साथ तालिका 1ख के प्ररूप एएलएसएम-जीआई -एसएम में दिखाया गया है।

(2) **'शोधन क्षमता अनुपात'** का अभिप्राय: है सारणी 1ख में निर्दिष्ट आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन के लिए उपलब्ध शोधन क्षमता मार्जिन का अनुपात।

(3) आईआईओ द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फक की उप-धारा (3) के अनुसार **'शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर'** शोधन क्षमता मार्जिन का निर्दिष्ट स्तर संदर्भित करता है, जिसका उल्लंघन होने पर प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फक की उप-धारा (4) के अनुसार, बिना किसी पूर्वधारणा के यथोचित अन्य उपचारात्मक उपाय करेगा। शोधन क्षमता के नियंत्रण स्तर को 150% के न्यूनतम शोधन क्षमता अनुपात के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

प्ररूप एएलएसएम-जीआई -एसएम

शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण

आइआइओ का नाम : पंजीकरण संख्या:

31 मार्च 20XX की स्थिति के अनुसार

सारणी 1क: **निवल प्रीमियम और किए गए निवल दावों क्व आधार पर अपेक्षित शोधन अक्षमता मार्जिन**

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

मद सं	**व्यवसाय का लाइन**	**सकल प्रीमियम**	**निवल दावे**	**किए गए सकल दावे**	**किए गए निवल दावे**	**आर एस एम 1**	**आर एस एम 2**	**आर एस एम**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01								
02								
03								
	कुल							

टिप्पणियां:

(3)= आवक पुनर्बीमा सहित सकल लिखित प्रीमियम

(4)=निवल लिखित प्रीमियम

(5)=सकल आईबीएनआर के प्रभाव सहित कुल खर्च किए गए दावे

(6)=निवल आईबीएनआर के प्रभाव सहित निवल उपगत दावे

(3) और (4) की गणना '12 माह का अनुगामी डेटा' के रूप में की जाती है।

(5) और (6) की गणना अधिकतम '12 माह का अनुगामी डेटा' और '36 माह का अनुगामी डेटा को 3 से विभाजित' करके की जाती है।

(7) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 1 का अभिप्राय: है प्रीमियम पर आधारित आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन और इसे उस राशि के बीस प्रतिशत (20%) के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कि 0.5 के गुणक से निवल प्रीमियम को गुणा करने पर आए सकल प्रीमियम की अपेक्षा अधिक है,

(8) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 2 का अभिप्राय: है किए गए दावों पर आधारित अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन और इसे राशि के तीस प्रतिशत (30%) के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो 0.5 के गुणक से निवल दावों को गुणा करके आए सकल दावों की अपेक्षा अधिक है।

(9) आरएसएम का अभिप्राय: है अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन और यह आईआईओ के लिए आरएसएम 1 के योग और आरएसएम 2 के योग की कुल राशि से अधिक होगा।

(10) अनिगमित रूप में स्थापित आईआईओ प्राधिकरण को 'प्ररूप एएलएसएम-जीआई-एसएम' भी प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण किसी आईआईओ की मूल एंटिटी के लिए लागू नियामक ढांचे के आधार पर उपर्युक्त रिपोर्टिंग प्रारूप से विचलन की अनुमति दे सकता है।

सारणी 1 ख: उपलब्ध शोधन क्षमता मार्जिन और शोधन क्षमता अनुपात

बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या :

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

(1)	(2)	(3)
मद संख्या	**विवरण**	राशि
(क)	**पॉलिसी धारक की निधि**	
	उपलब्ध आस्तियां (प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए के अनुसार)	
	घटाएं:	
(ख)	लेखापरीक्षित **बीएस के अनुसार वर्तमान देयताएं**	
(ग)	लेखापरीक्षित **बीएस के अनुसार प्रावधान**	
(घ)	**अन्य देयताएं**	
(ड़)	**पॉलिसी धारक की अतिरिक्त निधि** (क)-(ख)-(ग)-(घ)	
	शेयरधारक की निधियां	
(च)	**उपलब्ध आस्तियां**	
	घटाएं:	
(छ)	**अन्य देयताएं**	
(ज)	**शेयर धारक की निधियों में अधिकता (च-छ)**	

(झ)	**कुल एएसएम (ङ+ज)**	
(ञ)	**कुल आरएसएम**	
(ट)	**शोधन क्षमता अनुपात (कुल एएसएम/कुल आरएसएम)**	

प्रमाणीकरण:

मैं---------------- सांविधिक लेखापरीक्षक, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फक के अनुसार तैयार किए गए हैं, और इसमें वर्णित राशि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान:

तारीख:

सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रधान अधिकारी: **नियुक्त बीमांकक** **मुख्य वित्तीय अधिकारी**

टिप्पणियाँ:

(1) **मद क** प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए **में उल्लिखित पॉलिसी धारकों की निधि के संबंध में आस्तियों के समायोजित मूल्य की राशि होगी।**

(2) **मद ख कुल देयताओं की राशि होगी जैसा कि** प्ररूप एएलएसएम-जीआई-एल **में उल्लिखित है।**

(3) **मद ग पॉलिसी धारकों की निधि के संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य देयताओं की राशि होगी और जैसा कि तुलनपत्र में उल्लिखित है।**

(4) **मद च शेयर धारकों की निधि के संबंध में कुल आस्तियों की राशि होगी जैसा कि** एएलएसएम-जीआई-ए **में सूचित किया गया है।**

(5) **मद छ शेयर धारकों की निधि के संबंध में उत्पन्न होने वाली और तुलनपत्र में उल्लिखित अन्य देयताओं की राशि होगी।**

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./26/2023-24]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 19th April, 2023

International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023

IFSCA/2022-23/GN/REG038. —In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clauses (y), (z), (za) and (zab) of sub-section (2) of Section 114A read with Section 64V and 64VA of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely:-

1. **Short title and commencement -**

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER - I

INTRODUCTION

2. **Applicability**

These regulations shall be applicable to International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs) undertaking general, health, or re-insurance business.

Provided that for an IIO set up in an unincorporated form, solvency margin and related requirements under these regulations shall not be applicable and such IIO shall comply with related requirement as stipulated under sub-regulation (4) of regulation 17 of the IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021

Provided however that the reporting formats specified under these regulations shall continue to be applicable for such IIOs.

3. **Objective –**

These regulations aim to specify the requirements related to capital and solvency for undertaking general, health, or re-insurance business by IIOs.

4. **Definitions**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

(a) **'Act'** means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) **'allocated loss adjustment expenses'** mean the expenses which are directly attributable to a specific claim**;**

(c) '**Appointed Actuary'** shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-regulation 1 of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Appointed Actuary) Regulations, 2022;

(d) **'Authority'** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(e) **'claim reserves'** mean the reserves in respect of the claims which have already occurred and determined as the aggregate of outstanding claim reserves and incurred but not reported claim reserves.

(f) **'incurred but not enough reported reserves'** means the reserves reflecting the expected changes in the estimates of reported claims as on the accounting date;

(g) **'incurred but not reported claim reserves'** means the estimate made for reopened claims, provision for incurred but not reported claims, provision for claims in transit as on the accounting date and includes allocated loss adjustment expenses and incurred but not enough reported reserves;

(h) **'insurer'** for the purpose of these regulations means an International Financial Service Centre Insurance Office undertaking general, health or re-insurance business;

(i) '**International Financial Service Centre Insurance Office'** shall have the same meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021;

(j) **'outstanding claim reserves'** means the provision made in respect of all outstanding reported claims as on the accounting date and includes allocated loss adjustment expenses;

(k) **'premium deficiency reserve'** means the reserve held in excess of the unearned premium reserve, which allows for any expectation that the unearned premium reserve will be insufficient to cover the cost of claims and related expenses incurred during the period of unexpired risk;

(l) **'re-insurer'** for the purpose of these regulations, means an International Financial Service Centre Insurance Office undertaking re-insurance business;

(m) **'unearned premium reserve'** means an amount representing that part of the premium written which is attributable and to be allocated to the succeeding accounting periods representing the unexpired portion of the risks on the policies;

(n) **'unexpired risk reserves'** means the reserves in respect of the liabilities for unexpired risks and determined as the aggregate of unearned premium reserve and premium deficiency reserve.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules or regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER - II

REPORTING REQUIREMENTS

5. (1) An IIO shall prepare and submit to the Authority the following statements with such periodicity as may be specified:

(a) A statement of admissible assets in **FORM ALSM-GI-A,** as specified under **Schedule- I.**

(b) A statement of the amount of liabilities in **FORM ALSM-GI-L,** as specified under **Schedule- II**.

(c) A statement of solvency margin in **FORM ALSM-GI-SM,** as specified under **Schedule- III**.

(2) An IIO shall submit –

(a) Annual Actuarial Report prepared by the Appointed Actuary to the Authority in accordance with and in such manner as may be specified;

(b) Valuation of Assets & Liabilities and the computation of solvency margin duly certified by Appointed Actuary,

(c) such other reports as may be directed by the Authority.

Explanation: This regulation shall be applicable even in cases where the capital is being maintained in accordance with the home country regulations.

CHAPTER – III

MISCELLANEOUS PROVISIONS

6. **Inspection, Investigation, Information and disclosure**

The Authority shall have the power to inspect or investigate the affairs of an IIO including calling for any information from the IIO or the parent entity and may specify the disclosures to be made by an IIO to the Authority in relation to its activities.

7. **Power to specify procedure, etc.**

For the purpose of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manners to be for complied by IIOs.

8. **Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations**:

(1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.

(2) On an application received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority may, for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

9. **Non-applicability of certain regulations and savings -**

(1) On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016, and the circulars or guidelines issued thereunder, shall cease to apply in International Financial Services Centres;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the regulations, circulars or guidelines mentioned in sub-regulation (1), before the commencement of these regulations, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

(3) An IIO operating in the International Financial Services Centre prior to the commencement of these regulations, shall comply with additional requirements stipulated in these regulations, if any, within a period of six (6) months from the commencement of these regulations or within such extended time as may be specified by the Authority.

SCHEDULE- I

(refer clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 5)

1. VALUATION OF ASSETS

(1) The following assets shall be placed with value zero:

(a) Movable and Immovable property excluding financial instrument and any other asset as may be specified by the Authority;

(b) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums to be payable by policyholders from outside India, to the extent they are not realisable;

(c) Sundry debts, to the extent they are not realizable;

(d) Advances and receivables of an unrealizable character;

(e) Furniture, fixtures, dead stock and stationery;

(f) Deferred expenses;

(g) Debit balance of Profit and loss appropriation account and any fictitious assets other than pre-paidexpenses;

(h) Co-insurer's balances outstanding for more than ninety days;

(i) Re-insurer's balances outstanding for more than 180 days;

(j) Leasehold improvements;

(k) Goods and Service Tax Unutilized Credit outstanding for more than ninety days;

(l) Any other assets, as may be specified by the Authority from time to time.

(2) All other assets of an insurer shall be valued in accordance with the applicable regulations and any instructions issued by the Authority in this regard.

2. STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS

Every insurer shall prepare a statement of admissible assets in form ALSM-GI-A, as provided below:

FORM ALSM-GI-A

STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS

As on 31st March 20XX

Name of IIO:
Registration Number:

(All amounts in USD mn)

	Particulars	Policyholder's A/C	Shareholder's A/C	Total
	Investments			
	Investments Shareholders'			
	Investments Policyholders'			
A	**Total Investments as per audited BS**			
B	**Inadmissible investment assets identified under clause (1) of Schedule- I**			
	Fixed assets			
C	Fixed assets as per audited BS			
D	Inadmissible Fixed assets identified under clause (1) of Schedule – I			
	Current Assets			
E	Cash & Bank Balances as per audited BS			
F	Advances and Other assets as per audited BS			
G	Total Current Assets as per audited BS (E) + (F)			
H	Inadmissible Current assets identified under clause (1) of Schedule-I			
I	**Loans as per** audited **BS**			
J	**Fair Value Change Account subject to minimum of zero**			
K	**Total Assets as per** audited **BS (K) = (A) + (C) + (G) + (I)**			
L	**Total Inadmissible assets (L) = (B) + (D) + (H) + (J)**			
M	**Current Liabilities and Provisions**			
N	**Total Admissible assets for Solvency = (K) - (L) –(M)**			

Note:

The statement shall show the value of the above-mentioned categories of assets in accordance with Clause 1 hereinabove.

 # 'BS' indicates 'Balance Sheet'

We certify that the statement has been prepared in accordance with Schedule- I of the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023.

Name and Signature of Appointed Actuary

Name and Signature of Statutory Auditor

Name and Signature of Chief Executive Officer

Place

Date

SCHEDULE- II

(refer clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 5)

DETERMINATION OF AMOUNT OF LIABILITIES

1. **Determination of Technical Reserves**
   (1) The technical reserves shall be determined on the Valuation Date separately for each line of business. The representation of reserves for each line of businesses shall be as specified by the Authority.
   (2) The technical reserves for **each line of business** shall be determined as the aggregate of Premium Reserves as mentioned in clause 2 herein and Claims Reserves as mentioned in clause 3 herein.
2. **Premium Reserves**
   (1) Unearned Premium Reserve (UPR):

   UPR will be estimated as per the extant provisions and shall be certified by the Chief Financial Officer and the Statutory Auditor of the IIO.

   (2) Premium Deficiency Reserve (PDR):

   The PDR shall be calculated using sound actuarial principles and maintained at the level of insurer. The insurer shall continuously monitor the PDR on segmental basis for the segments as may specified by the Authority.

   (3) Unexpired Risk Reserve (URR):

   Unexpired Risk Reserve shall mean the sum total of UPR and PDR.
3. **Claims Reserve**
   (1) The Claims Reserve shall be determined as the aggregate amount of Outstanding Claims Reserve (OCR) and Incurred but Not Reported Claims Reserve (IBNR) for each line of business.
   (2) **Outstanding Claims Reserve (OCR)**

   The outstanding claims reserve shall be determined in the following manner:

   (a) Where the amount of outstanding claims of the insurers is known, the amount is to be provided in full;
   (b) Where the number of outstanding claims can be reasonably estimated, the Appointed Actuary shall follow the 'case by case method';
   (c) Where the Appointed Actuary is of the view that statistical methods maybe used for the estimation of Outstanding claims, he may use the appropriate statistical method of claims reserving instead of following case by case method. In such cases, the OCR shall be certified by the Appointed Actuary.

   (3) **Incurred But Not Reported (IBNR) Claims Reserve**
   The Incurred But Not Reported (IBNR) claims reserve shall be certified by the Actuary.
4. **Determination of Other Liabilities**
   The insurer shall place a proper value in respect of the following items:
   (1) provision for bad and doubtful debts; reserve for dividends declared or recommended, and outstanding dividends in full;
   (2) amount due to insurance companies carrying on insurance business, in full;
   (3) amount due to sundry creditors, in full;
   (4) provision for taxation, in full; and
   (5) foreign exchange reserve.
5. **Statement of Liabilities**
   (1) Every insurer shall prepare a statement of liabilities in FORM ALSM-GI-L certified by the Appointed

Actuary and the Statutory Auditor in accordance with Section 64V of the Insurance Act, 1938.

(2) The statement shall be furnished to the Authority along with the returns mentioned in section 15 of the Insurance Act, 1938.

FORM ALSM-GI-L

STATEMENT OF LIABILITIES

As on 31st March 20XX

Name of IIO: Registration Number:

ll amounts in USD mn)

Reserve	Gross Reserve	Net Reserve
Unearned Premium Reserve (UPR) …. (a)		
Premium Deficiency Reserve (PDR)….(b)		
Unexpired Risk Reserve (URR)….(c)=(a) +(b)		
Outstanding Claim Reserve (other than IBNR reserve)…(d)		
IBNR Reserve…. (e)		
Total Technical Reserves (f)=(c)+(d)+(e)		
Note: The statement shall show the value of the above-mentioned categories of liabilities in accordance with Clause 1 to 4 hereinabove.		

Certifications

(1) Certification from Statutory Auditor:

I certify that the above statement represents the liabilities of the insurer which have been determined in the manner prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023, and amounts of such liabilities are fair and reasonable. I further certify that the OCR (that are estimated using statistical methods), PDR and IBNR reserves in the statement above have been determined by the Appointed Actuary and his certificate is furnished below.

Qualifications, if any (in regard to the determination of liabilities):

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Statutory Auditor

(2) Certification from the Appointed Actuary:

I certify that, I have checked the data to the best of my ability, and I am satisfied that the data is consistent, reliable and complete. **I further certify that** the OCR (that are estimated using statistical methods), PDR and IBNR reserves in the statement above have been determined using actuarial principles and in the manner prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023. These reserves, estimated as on the 31st day of March of (year of investigation) represent, in my opinion, a fair reflection of the expected future experience.

Qualifications, if any:

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Appointed Actuary

(3) Certification by Principal Officer:

I certify that

(a) Full and accurate particulars of every policy and claim have been furnished to the Appointed Actuary: <name of the actuary> for the purpose of the determination of Technical Reserves as on the 31st Dayof March of 20XX.

(b) The data provided to the Appointed Actuary reconciles with the Audited Financials as on 31st Day of March 20XX.

(c) The Appointed Actuary has been made aware of all the information pertaining to underwriting, claims and re-insurance policies and practices followed by the Insurer.

Qualifications, if any:

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Principal Officer

(4) Certification from Chief Financial Officer: I certify that

The UPR has been determined as per the extant provisions of the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023.

Qualifications, if any (in regard to the determination of UPR):

Name of the Insurer:

Place:

Date:

Name and Signature of the Chief Financial Officer

SCHEDULE- III

(refer clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 5)

STATEMENT OF SOLVENCY MARGIN

1. **Interpretation:** In this Schedule,

(1) 'Available Solvency Margin (ASM)' means the excess of value of assets (as furnished in Form ALSM-GI-A) over the value of liabilities (as furnished in Form ALSM-GI-L) with further adjustments as shown in Table IB of Form ALSM-GI-SM.

(2) 'Solvency Ratio' means the ratio of Available Solvency Margin to Required Solvency Margin as specified in Table IB.

(3) **'Control level of Solvency'** refers to the specified level of solvency margin to be maintained by the IIO in accordance with sub-section (3) of Section 64VA of the Insurance Act, 1938, on the breach of which the Authority shall act in accordance with sub- section (4) of section 64VA of the Insurance Act, 1938, without prejudice to taking any other remedial measures as deemed fit. The control level of solvency is hereby specified as a minimum solvency ratio of 150%.

FORM ALSM-GI-SM

STATEMENT OF SOLVENCY MARGIN

As on 31st March 20XX

Name of IIO: Registration Number:

TABLE IA: REQUIRED SOLVENCY MARGIN BASED ON NET PREMIUM AND NET INCURRED CLAIMS

(All amounts in USD mn)

Item No.	Line of Business	Gross Premiums	Net Premiums	Gross Incurred claims	Net Incurred claims	RSM1	RSM2	RSM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01								

02								
03								
	Total							

NOTES:

(3) = Gross Written Premium including Inward Re-insurance

(4) = Net Written Premium

(5) = Gross Incurred Claims including impact of Gross IBNR

(6) = Net Incurred Claims including impact of Net IBNR

(3) and (4) are calculated as 'Trailing 12 Months Data'

(5) and (6) are calculated as Maximum of 'Trailing 12 Months Data' and' Trailing 36 Months Data divided by 3'

(7) RSM 1 in the above table means Required Solvency Margin based on premiums, and shall be determined as Twenty Percent (20%) of the amount which is the higher of the Gross Premiums multiplied by a factor of 0.5 and the Net Premium,

(8) RSM 2 in the above table means Required Solvency Margin based on incurred claims and shall be determined as Thirty Percent (30%) of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a factor of 0.5 and the Net Incurred Claims.

(9) RSM means Required Solvency Margin and shall be the higher of the amounts of total of RSM 1 and total of RSM 2 for the IIO.

(10) An IIO set up in unincorporated form shall also submit 'FORM ALSM-GI-SM' to the Authority.

Provided that the Authority may permit deviation from the above reporting format based on applicable regulatory framework for Parent Entity of an IIO.

TABLE IB: AVAILABLE SOLVENCY MARGIN AND SOLVENCY RATIO

Name of Insurer:
Registration Number:

(All amounts in USD mn)

(1)	**(2)**	**(3)**
ITEM NO.	**DESCRIPTION**	**AMOUNT**
(A)	**Policyholder's FUNDS**	
	Available Assets (as per Form ALSM-GI-A)	
	Deduct:	
(B)	**Current Liabilities as per** audited **BS**	
(C)	**Provisions as per** audited **BS**	
(D)	**Other Liabilities**	
(E)	**Excess in Policyholder's funds (A)-(B)-(C)-(D)**	
	Shareholder's FUNDS	
(F)	**Available Assets**	
	Deduct:	

(G)	**Other Liabilities**	
(H)	**Excess in Shareholder's funds (F-G)**	
(I)	**Total ASM (E+H)**	
(J)	**Total RSM**	
(K)	**SOLVENCY RATIO (Total ASM/ Total RSM)**	

Certification:

I________________, the Statutory Auditor, hereby certify that the above statements have been prepared in accordance with the Section 64VA of the Insurance Act, 1938, and the amounts mentioned therein are true to the best of my knowledge.

Place

Date

Name and Signature of the Statutory Auditor

Counter signed by

Principal Officer: Appointed Actuary Chief Financial Officer

NOTES:

(1) Item A shall be the amount of the Adjusted Value of Assets in respect of policyholders' funds as mentioned in **FORM ALSM-GI-A.**

(2) Item B shall be the amount of Total Liabilities as mentioned in **FORM ALSM-GI-L.**

(3) Item C shall be the amount of other liabilities arising in respect of policyholders' funds and as mentioned in theBalance Sheet

(4) Item F shall be the amount of the Total Assets in respect of shareholders' funds as mentioned in **FORM ALSM-GI-A.**

(5) Item G shall be the amount of other liabilities arising in respect of shareholders' funds and as mentioned in the Balance Sheet.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./26/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.04.24 22:39:10 +05'30'